

17/11/2013

| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अमित जोश्वरल निवासे 1/5 C70 डोकें</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-------------------|---|---|
| <p>28/10/13</p> | <p><u>एकलपीठ कैम्प जयपुर</u> श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मदन लाल - सदस्य</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि सुनील व्यावसायी 28/10/13 उपस्थित/अपस्थित/अपेक्षित/पेश/नहीं पेश हुई। प्राथी/अप्राथी समय 12.2.14</p> <p>DB सदस्य संजय कुमार शर्मा</p> <p>सदस्य संजय कुमार शर्मा</p> | |
| <p>12.2.2014</p> | <p>DB कैम्प जयपुर श्री जे.आर. लोहिया, सदस्य श्री अमर सिंह-सदस्य</p> <p>व्यवसायी के वकील श्री डी. कुमार एवं वि.ज. श्री जे.आर. लोहिया उपस्थित। श्री डी. कुमार ने कथन किया कि यह अपील उपस्थित (अपील) के द्वारा 38(प) के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। उपस्थित (अपील) अथ सुन अपील का निरन्तरण कर दिया गया है इसलिए इस अपील को वापस लेना आवश्यक है। वि.ज. श्री कासलीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया है। अतः अपील वापस लिए जाने के कारण विद्वेषा खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>सदस्य संजय कुमार शर्मा</p> <p>सदस्य संजय कुमार शर्मा</p> | |